



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक- 04.07.2025

थाना बिनौली पुलिस ने गुम हुए 05 मोबाइल फोन को CEIR PORTAL के माध्यम से खोज कर मोबाइलों के स्वामियों को किया सुपुर्द ।

कार्यवाही-

थाना बिनौली पर आवेदकों द्वारा मोबाइल फोन के गुम होने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्रों के आधार पर कार्यवाही करते हुए थाना बिनौली पुलिस द्वारा 05 मोबाइल फोन को CIER PORTAL के माध्यम से खोज कर उनके



स्वामियों को सुपुर्द किया गया । मोबाइल स्वामियों द्वारा थाना बिनौली पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी ।

मोबाइल मालिक का विवरण-

- 1-धीरज पुत्र वेदप्रकाश निवासी करम्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-रोजूद्दीन पुत्र रहमतुल्ला निवासी ग्राम फखरपुर शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-सहीदा पत्नी यासीन निवासी ग्राम फखरपुर शेखपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-सन्दीप कुमार पुत्र कालूराम निवासी ग्राम आरिफपुर खेडी थाना बिनौली जनपद बागपत

5-अनीता पत्नी राकेश निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट थाना बिनौली जनपद बागपत ।



Meticulous Investigation & Prosecution BAGHPAT POLICE



एनडीपीएस एक्ट के आरोपी नईम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 06 माह का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2011 में अभियुक्त नईम पुत्र असगर निवासी माता कॉलोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा अवैध चरस की तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 843/2011 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग की पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त नईम को दोषी पाते हुए 06 माह के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनांक 04.07.2025

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

चन्द्रमणि पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम बड़ागांव थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 218 धर्मेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-का0 435 नवीन नागर थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 04.07.2025

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

बालेन्द्र पुत्र महावीर निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 714 रविन्द्र नागर थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-हो0गा0 435 प्रणवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।